

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़**

**पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या : 11 / 2025

दायर दिनांक : 24 / 02 / 2025

निर्णय दिनांक : 13 / 10 / 2025

**उनवान**

- 1 लेहरूलाल पिता बालु गाडरी निवासी चौकडी तहसील भूपालसागर
- 2 भुरीबाई पत्नि बालु गाडरी निवासी चौकडी तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

- 1 डालु पिता माणा गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
- 2 नाराण पिता माणा गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
- 3 सुखा पिता माणा गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
- 4 देवा पिता शोराम गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
- 5 नारण पिता शोराम गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
- 6 लक्ष्मण पिता घीसा गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
- 7 छोगा पिता भैरूलाल गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
- 8 नन्दा पिता छोगालाल गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
- 9 लक्ष्मण पिता छोगालाल गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
- 10 गोपीबाई पत्नी हीरालाल गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, उपस्थित व पत्थरगढी में कोई आपत्ति नहीं होना दर्ज कराया। शेष अप्रार्थीगण 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 वाद सूचना अनुपस्थित होने से कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम आकोला प0 ह0 आकोला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरुनी के आ0न0 1299 रकबा 0.31 है0 आ0न0 1300 रकबा 0.07 है0 आ0न0 1325 रकबा 0.36 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(महेश गगोरिया) एवं  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
भूपालसागर

